08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वंय उपस्थित। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने ग्राम पंचायत मणकसास द्वारा दिनांक 20.11.2019 को खारिज किये गये नामान्तकरण को अपास्त करवाकर विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2012 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 05.04.2021, प्रतिलिपी नामान्तकरण खारिज दिनांक 20.11.2019, विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2012 का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पंचायत मणकसास द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के व्रिक्रय पत्र दिनांक 29.08.2012 के अनुसार दर्ज किये जाने वाले नामान्तकरण को खारिज कर दिया। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मणकसास द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.11.2019 में प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खारिज किये गये नामान्तकरण आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम मणकसास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 153, 154, 2432/155 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर का नामान्तकरण विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2012 के परिपेक्ष्य में तस्दीक की कार्यवाही करें।** (हस्ताक्षर) 31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी,** **उदयपुरवाटी** (मुहर: उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)) **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (हस्ताक्षर) 31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी** **उदयपुरवाटी** (मुहर: उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं))	अनुपालना में क्रमांक व दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner